रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 588] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1985/अग्रहायण 19, 1907
No. 588] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1985/AGRAHAYANA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1985

का. आ. 893(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ सत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "8. कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"18. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ।",

(2) शीर्षक "24 परिवहन मंत्रालय" के नीचे उप-शीर्षक "(i) रेल विभाग" के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् —

"(i) रेल विभाग (रेल बोर्ड), "

(2) द्वितीय अनुसूची में—

(i) शीर्षक "कृषि मंत्रालय" के नीचे —

(क) उपशीर्षक "5 कृषि और सहकारिता विभाग" के नीचे भाग 4 की प्रविष्टि 14 में "और वन विकास" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपशीर्षक "9 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" के नीचे

(1) भाग 1 की प्रविष्टि 1 में "विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि गवेषणा और शिक्षा संस्थानों और संगठनों से संबंध" शब्दों के स्थान पर "कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग जिसके अन्तर्गत विदेशी और अन्तरराष्ट्रीय कृषि, अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों और संगठनों से संबंध भी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) प्रविष्टि 2 में "कृषि पशुपालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग मे उच्चतर शिक्षा" शब्दो के स्थान पर "कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि वानिकी भी है, पशुपालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग में उच्चतर शिक्षा" शब्द रखे जाएगे।

(ग) उपशीर्षक "ग ग्रामीण विकास विभाग" के नीचे प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"19क असम के उन जनजाति क्षेत्रो मे केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत या अशत वित्तपोषित स्कीम जो असम का सविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट है।"

(2) शीर्षक "वाणिज्य मत्रालय" के नीचे उपशीर्षक "ग पूर्ति विभाग" उपशीर्षक के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात् —

"1 उन मदो से, जिनका क्रय और प्राप्तिया या निरीक्षण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियो को प्रत्यायोजित किया गया है, भिन्न सामग्रियो का केन्द्रीय सरकार के मत्रालय विभाग, जिसके अन्तर्गत उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और सघ राज्य क्षेत्र भी है, के लिए क्रय और/या निरीक्षण।

2. उन राज्य सरकारो, लोक उपक्रमो स्वायत्त निकायो और सरकारी निकायों आदि की ओर से सामग्रियो का क्रय और/या निरीक्षण जो इसकी सेवाओ का फायदा उठाना चाहते है।

3 ऊपर 1 और 2 मे निर्दिष्ट प्राधिकारियो की ओर से विभाग (पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय) द्वारा की गई सविदाओ के सबध मे किए गए प्रदायों के लिए सदाय की व्यवस्था करना।

4 विभाग द्वारा दिए गए आदेशो और अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारो, स्वायत्त निकायो आदि द्वारा दिए गए आदेशो के सबंध मे आयातित सामग्रियो की निकासी की व्यवस्था करना, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाए। जहा भारत सरकार द्वारा दी गई सविदाओ के सबध में या जहां ऐसा कार्य विभाग को अन्य प्राधिकारियो द्वारा सौंपा जाए वहा सामग्रियो की लदाई की व्यवस्था करना।

5 ऐसी सामग्रियो का व्ययन जो उनको भिन्न भिन्न विभिन्न प्राधिकारियो साधारण या विशेष आदेश द्वारा शक्तिया प्रत्यायोजित की गई हैं।

6. सामग्रियो, उत्पादों, उपकरणो और प्रणालियो की जाच और मूल्यांकन, जाच प्रौद्योगिकी तथा सबधित क्षेत्र मे अनुसधान और विकास तथा सोपानक II के स्तर मे मानक और जाच प्रणाली आदि का सरक्षण।

7. भारतीय पूर्ति सेवा तथा सवर्ग प्रबन्ध और उनकी सेवा के लिए प्रशिक्षण वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से सबधित सभी विषय।

8 भारतीय निरीक्षण सेवा का सवर्ग प्रबन्ध और उसके लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से सबधित सभी विषय।

9 निम्नलिखित का प्रशासन —

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय नई दिल्ली।

(ख) मुख्य लेखा नियत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय जाच भवन, अलीपुर कलकत्ता।",

(3) "सचार मत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(क) उपशीर्षक "क डाक विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 3 में, "डाकघर जीवन बीमा निधि (प्रशासन) प्रवर्तन और वाही आदि" शब्दो के स्थान पर "और डाकघर जीवन बीमा निधि (प्रशासन)" शब्द रखे जाएगे,

(ख) उपशीर्षक 'दूरसचार विभाग' के नीचे मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4 भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड बंगलौर, हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास और टैलिकम्युनीकेशन कन्सल्टेन्टस इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली।"

(4) शीर्षक 'रक्षा मत्रालय' के नीचे,—

(क) उपशीर्षक "क रक्षा विभाग" के नीचे, मद 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्त स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"14 रक्षा लेखा विभाग।

15 निम्नलिखित का प्रशासन—

(1) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2)

(2) वायु सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2)

(3) नौसेना पेंशन विनियम, 1964, और

(4) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशन प्रदाय हकदारी नियम, 1982

16 सैनिक आवश्यकताओ के लिए खाद्य सामग्रियो का क्रय उसका जो काम खाद्य और नागरिक पूर्ति मत्रालय (खाद्य विभाग) को सौपे गए है।

17 तट रक्षक सगठन।",

(ख) उपशीर्षक "ख रक्षा मत्रालय और पूर्ति विभाग" के नीचे,—

(1) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"1 आयुध कारखाना बोर्ड और गोलाबारूद कारखाने।",

(2) प्रविष्टि 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात् —

"5 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इजीनियर्स लिमिटेड।

6 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।

6क प्रागा टूल्स लिमिटेड।

6ख भारत डायनामाइट लिमिटेड।

6ग मिश्र धातु निगम लिमिटेड।

6घ रक्षा निरीक्षण सगठन।

6ङ रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण।",

(3) प्रविष्टि 8 मे 'परमाणु ऊर्जा विभाग' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

'अन्तरिक्ष विभाग'

(4) प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी अर्थात् —

"9 स्वदेशीकरण विकास और रक्षा प्रयोजनो के अपेक्षित मदो का उत्पादन।

10 रक्षा सेवाओ के लिए अनुसधान आवश्यक उपापन।",

(5) शीर्षक "ऊर्जा मत्रालय" के नीचे उपशीर्षक "ख विद्युत विभाग" के नीचे प्रविष्टि 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात् —

"10 भाखडा व्यास प्रबध बोर्ड और व्यास सन्निर्माण बोर्ड (सिंचाई से सबधित विषयों को छोड़कर)

11 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड।

12. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड ।

13. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ।

14. उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ।

15. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ।

16. विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी । ,

(6) शीर्षक 'पर्यावरण तथा वन मंत्रालय' के नीचे शीर्षक 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

17. वानिकी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता । "

(7) शीर्षक विदेश मंत्रालय के नीचे—

(क) प्रविष्टि 5 के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है

(ख) प्रविष्टि 11 में "खच्चर वाला आदि" शब्द और "और बर्मा से भारत आने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा

(ग) प्रविष्टि 19 में 'और अन्य अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन' शब्दों के स्थान पर 'अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन' शब्द रखे जाएंगे ,

(घ) प्रविष्टि 25 (ई) में 'पाट हज समिति अधिनियम 1932" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर 'हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51)' शब्द अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ,

(ङ) प्रविष्टि 27, 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"27 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न ।" ;

(8) 'वित्त मंत्रालय" शीर्षक के नीचे,—

(क) उप शीर्षक "क आर्थिक कार्य विभाग" के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् —

"I मुद्रा नियंत्रण

1. राजस्व विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) का प्रशासन।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी बजट तैयार करना।

3. रुपए की विनिमय दर संबंधी नीति।

4. विदेशी मुद्रा स्रोतों का नियंत्रण जिसमें विदेशी मुद्रा का रीट के आयातों की प्रस्थापना की समीक्षा भी सम्मिलित है।

5. विदेशी और अनिवासी भारतीय विनिधान।

6. विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमोदन जिसमें उसके निबन्धन और शर्तें भी सम्मिलित हैं।

7. सोना और चांदी का आयात और निर्यात।

II. आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता

8. निम्नलिखित से संबंधित बातें —

(क) भारत कन्सोर्शियम ।

(ख) विदेशों से ऋण, उधार और आर्थिक सहायता ।

(ग) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक से उधार और ऋण, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और निर्यात-आयात बैंक आदि।

(घ) फोर्ड फाउंडेशन और रोकफेलर फाउंडेशन।

(ङ) कनाडा अन्तरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई डी आर. सी.)।

"(च) कामनवेल्थ तकनीकी सहकारिता निधि (सी एफ टी सी)।

9. निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त तकनीकी और आर्थिक सहायता —

(क) कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम ।

(ख) संयुक्त राज्य का चार सूत्री कार्यक्रम ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम ।

(घ) विभिन्न विदेशों से तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव।

10. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत द्वारा की गई तकनीकी सहायता और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफ्रीकी देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता।

11. कोलम्बो योजना परिषद् और योजना के परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनों से संबंधित सभी मामले।

12. नेपाल भूटान और बंगलादेश को छोड़कर अन्य देशों को भारत सरकार द्वारा दिए गए उधारों से संबंधित सभी मामले।

13. भारत को प्राप्त होने वाली या विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता जिसमें वे नहीं हैं जिनका संबंध किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों से हो।

14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) से संबंधित सभी मामले जिसमें ऐसे कार्यक्रम या परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें यू.एन डी पी बजट से निधि प्रदान की गई है।

15. युनाइटेड नेशन्स फंड फार पापुलेशन एक्टीविटीज (यू.एन. एफ.पी.ए.) से संबंधित और राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों तथा राष्ट्र संघ के अन्य निकायों के अंशदानों से संबंधित नीति संबंधी मामले।

16. (यू.एन.वी. के अन्तर्गत वालिण्टियरों के अतिरिक्त) युनाइटेड नेशन्स वालंटियर्स सहित भारत में विदेशी वालंटियर कार्यक्रम से संबंधित मामले।

III आन्तरिक वित्त

17. करेंसी और सिक्का निर्माण से संबंधित सभी विषय (जिनमें निम्नलिखित भी है) —

(क) प्रतिभूति और करेंसी मुद्रण करने वाले मुद्रणालय, सिक्यूरिटी पेपर मिल और टकसालें (इसके अन्तर्गत परख विभाग और चांदी परिष्करण, सोना परिष्करणी और स्वर्ण संग्रहण सह परिदान केन्द्र भी है)।

(ख) करेंसी नोट कागज करेंसी और बैंक नोट तथा सिक्के, डाक लेखन सामग्री, स्टाम्प और विभिन्न प्रतिभूति प्ररूपों का उत्पादन और पूर्ति।

18. भारत के पूरे विभागों के कोषपाल के कृत्य।

19. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन।

20. स्टाक एक्सचेंजों का विनियमन और विकास।

21. प्राइवेट स्टाक कंपनियों द्वारा जारी की गई पूंजी का नियंत्रण।

22. पूंजी बाजार से साधन प्राप्त करने के लिए नए विनिधान और प्रतिभूतियां।

23. विनिधान नीति जिसके अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय साधारण बीमा निगम की नीतियां भी है।

24. कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य वैसी ही भविष्य निधियों की विनिधान पैटर्न।

IV बजट

25 अर्थोपाय।

26 रेल बजट को जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी है को छोड़कर केन्द्रीय बजट तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनशील हो तो ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना।

27. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त संस्थाओं के बाजार उधार कार्यक्रम।

28 केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण का लिया जाना और खजाना हुंडियों का निर्गमन और उन्मोचन।

29. लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) का प्रशासन।

30 केन्द्रीय सरकार के उधार लेने और ऋण देने के संबंध में ब्याज दरों का नियत किया जाना।

31. लेखा और लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं जिनके अन्तर्गत सव्यवहारों का वर्गीकरण है।

32. विभाजन फेडरल वित्तीय एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वित्तीय मामले।

33. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 49)।

34. केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति का अनुश्रवण।

35. स्टर्लिंग पेंशन—यू.के. सरकार के उत्तरदायित्व का अंतरण और अंतर्ग्रस्त दायित्व की वास्तविक गणना।

36. लोक भविष्य निधि स्कीम।

37. वित्त आयोग।

38. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के स्रोत।

39. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम, विशेष निक्षेप स्कीम, अनिवार्य निक्षेप स्कीम और अन्य निक्षेप स्कीम।

40. लघु बचतें, जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन का प्रशासन भी है।

41. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां।

42. संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश करना।

43. वित्तीय आपात।

V. प्रकीर्ण अधिनियम

44. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5)

45. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 जो विनिधानों का सव्यवहार करती है।

46 धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।

47. पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 (1890 का 6)।

48 भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3)।

49 भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10)।

50 करेंसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4)।

51 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945।

52. पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)।

53 वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33)।

54 सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46)।

55. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21)।

56 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52)।

57 बैंक निविदा (अन्तर्लिखित नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 28)।

58 एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18)।

59 लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23)।

60. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)।

61. नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56)।

62 अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37)।

63 अफ्रीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1)।

64. अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13)।

VI बीमा प्रभाग

65. साधारण बीमा, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन, साधारण बीमा निगम की समनुषंगियों से संबंधित नीति।

66. जीवन बीमा, जीवन बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन, जीवन बीमा अधिकरण से संबंधित नीति।

67. बीमा नियंत्रक।

68. 65 से 67 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के विषय में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

VII. भारतीय आर्थिक सेवा का प्रबंध

69. भारतीय आर्थिक सेवा के प्रबंध के केन्द्रीय पहलू और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी मामले।

VIII. आर्थिक सलाह

70. उन मामलों पर सलाह जो आर्थिक प्रबंध जिसके अंतर्गत मूल्य भी हैं, के आंतरिक और बाह्य पहलुओं से संबंधित हैं।

71 ऋण, वित्तीय और मुद्रा संबंधी नीतियां।

IX. बैंककारी

72. सभी भारतीय बैंक चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं।

73. सभी विदेशी बैंक जहां तक भारत में उनकी संक्रियाओं का संबंध है।

74 भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।

75 सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले।

76. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम को छोड़कर दीर्घ-कालिक वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

77. चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियां।

78. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले ।

79. उपर्युक्त 72 से 78 प्रविष्टियों से संबंधित सभी कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन ।";

(ख) उप शीर्ष "ख. व्यय विभाग" के नीचे प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा ।

(ग) उप शीर्ष "ग. राजस्व विभाग" के नीचे :--

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"1. (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दरें; और
(ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर दरें, में संबंधित सभी मामले ।";

(ii) प्रविष्टि 4 में 'स्टाम्पों' शब्द के स्थान पर 'राजस्व स्टाम्पों' शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) प्रविष्टि 6 की उप प्रविष्टि (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ख) अफीम, केनेबिस (भारतीय भांग) और अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक पदार्थ ।";

(iv) प्रविष्टि 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"7. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) का प्रशासन ।",

(v) प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"8क. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) का प्रशासन ।

9. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन्स/करार और उनका कार्यान्वयन ।

10. सीमा-शुल्क (समुद्र, वायु और भूमि) जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहकारिता परिषद्, सीमा शुल्क नाम पद्धति और ऐसे ही मामले हैं, आयात या निर्यात किए गए माल पर शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयातों और निर्यातों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन; और सीमा शुल्क टैरिफ का निर्वचन से संबंधित सभी मामले ।";

(vi) प्रविष्टि 13 का लोप किया जाएगा ।

(vii) प्रविष्टि 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"15. विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संबंधन और तस्करी क्रियाकलापों के निवारण और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए निवारक निरोध ।";

(viii) प्रविष्टि 16 में "राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।;

(ix) प्रविष्टि 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"17. आर्थिक आसूचना ब्यूरो से संबंधित सभी मामले ।

18. सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण से संबंधित सभी मामले ।";

(ix) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्ष के नीचे,--

(क) उपशीर्ष 'खाद्य विभाग' के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"1 सिविल आपूर्ति प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थ और सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीनी, चावल, गेहूं आर गेहूं के उत्पादों का क्रय और उनका निपटान ।";

(ii) प्रविष्टि 2क का लोप किया जाएगा ।;

(iii) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"11क. निम्नलिखित केन्द्रीय सैक्टर संगठनों से संबंधित मामले--

(i) भारतीय खाद्य निगम ।

(ii) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ।

(iii) मदर्स फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ।

(iv) उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक कृषि विपणन निगम लिमिटेड ।"

(iv) प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"16(क) समपुष्टी और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना ।

(ख) पोषण का विस्तारण ।";

(ख) उपशीर्ष 'ख नागरिक पूर्ति विभाग' के नीचे प्रविष्टि 15 का लोप किया जाएगा ।;

(x) शीर्ष "गृह मंत्रालय" के नीचे,--

(क) उपशीर्ष "क. आंतरिक सुरक्षा विभाग" के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"3क. आसूचना ब्यूरो, समन्वय खंड, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का केन्द्रीय अभिलेखागार ब्यूरो ।";

(ii) प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"6क. अग्निशमन सेवा का विकास ।";

(iii) प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"10क. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।";

(iv) प्रविष्टि 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"13. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत संघ के नियंत्रणाधीन नौसेना, सेना, या वायुसेना या कोई अन्य सशस्त्र बल या सिविल शक्ति की सहायता में उसका कोई दस्ता या टुकड़ी नहीं आता है) ।";

(v) प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"19क. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) का प्रवर्तन ।";

(vi) प्रविष्टि 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :--

"20. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) का प्रवर्तन ।";

(vii) प्रविष्टि 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्--

"22 सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा-11 के अधीन भारत में अवांछनीय साहित्य लाने का निवारण।';

(viii) प्रविष्टि 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

'25क विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) का प्रवर्तन।,

(ix) प्रविष्टि 31 का लोप किया जाएगा।,

(x) प्रविष्टि 37 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात्--

37क श्रीलंका से आए शरणार्थियों के लिए राहत एवं सुविधाएं।',

(ख) उपशीर्ष ख राज्य विभाग के नीचे--

(i) प्रविष्टि 9 की उप प्रविष्टि (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपप्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --

"(1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सिवाय लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अन्तर्गत सिविल शक्ति की सहायता में संघ की नौसेना, सेना, या वायु सेना का प्रयोग नहीं आता है)"

(ii) प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

'9क. भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा।',

(xi) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के नीचे,--

(क) "क शिक्षा विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 51 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात --

'52 आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए योजनाएं",

(ख) "घ संस्कृति विभाग", उप-शीर्ष के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 1 में "विक्टोरिया संस्मारक" शब्दों के पश्चात् "एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे,

(ii) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् --

'1क राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ",

(iii) प्रविष्टि 12 में, 'राष्ट्रीय चित्र दीर्घा' शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, नई दिल्ली, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता और इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे,

(iv) प्रविष्टि 20 का लोप किया जाएगा",

(xii) 'उद्योग मंत्रालय' शीर्ष के नीचे, --

(क) "क. औद्योगिक विकास विभाग," उप-शीर्ष के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --

"राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद्"

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --

"23 तकनीकी विकास, इसके अन्तर्गत तकनीकी विकास महानिदेशालय, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी हैं";

(iii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् --

'29क व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43)",

(ख) 'ख. कम्पनी कार्य विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् --

'9 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में साहित्यिक, वैज्ञानिक और पूर्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण और कन्याकुमारी के प्रयोग से संबंधित मामले',

(ग) 'घ सरकारी उद्यम विभाग उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 18 का लोप किया जाएगा,

(xiii) "श्रम मंत्रालय' शीर्षक के अधीन भाग V के नीचे, प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --
"25 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अन्तर्गत भारत से विदेशों को सभी उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी";

(xiv) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्ष के अधीन "क विधि कार्य विभाग" के नीचे,--

(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"1. विधिक मामलों पर मंत्रालयों को सलाह देना जिसके अन्तर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन हस्तान्तरण लेखन, और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में जहां भारत संघ एक पक्षकार है भारत संघ की ओर से उप-संजात होने के लिए काउन्सेल का नियोजन है;

(ii) प्रविष्टि 3 में, "उच्चतम न्यायालय' शब्दों के पश्चात, "और उच्च न्यायालय" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे,

(iii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् --

'9 विधिक वृत्ति जिसके अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति हैं";

(iv) प्रविष्टि 10 में, "अनुपूरक" शब्द के स्थान पर, "अतिरिक्त" शब्द रखा जाएगा,

(v) प्रविष्टि 11 और 13 का लोप किया जाएगा;

(xv) "संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "क, संसदीय कार्य उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् .--

"17. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33),

18. संसदीय सचिव--कृत्य";

(xv) विद्यमान शीर्ष 'कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्--

"कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय",

(ख) "ग. उप-शीर्ष पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग" के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

"1. नीति बनाना और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेल पेंशनभोगियों) के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का समन्वय करना।

2 निम्नलिखित का प्रशासन—

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन सारणीकरण) नियम, 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम 1958, और

(ii) विभाग को सौंपा गई केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य स्कीम।

3. पेंशन ढांचा और पेंशनभोगियों की राहत,

4. केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को नई सुविधाएं या अनुषंगी हितलाभ;

5. पेंशन नियमों या सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित किसी अन्य नियमों के संशोधन या शिथिलीकरण से संबंधित मामले।

6 केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित नीति और समन्वय।

टिप्पण :—उपर्युक्त 3 के संबंध में कार्रवाई वित्त मंत्रालय की सहमति से की जाएगी। अन्य मामले जिनमें आवश्यक वित्तीय निहितार्थ निहित हों के संबंध में कार्रवाई के किसी नियम के शिथिलीकरण या उदारीकरण की कार्रवाई उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते की जाएगी जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच करार पाए हों" ;

(xvii) "योजना मंत्रालय" शीर्ष के अधीन "क. सांख्यिकी विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात —

"3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन" ;

(xviii) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "क इस्पात विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्ट 8 की उप-प्रविष्ट (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-प्रविष्ट रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) विश्वेश्वरय्या आयरन एंड स्टील लिमिटेड ";

(xix) "परिवहन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,

(क) 'क रेल विभाग' उप-शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् —

"क रेल विभाग, रेल बोर्ड"

(ख) "क. रेल विभाग, रेल बोर्ड" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् "4. रेल कर्मचारियों को लागू पेंशन नियमों का प्रशासन";

(ग) "ख. नागर विमानन विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"16. भारतीय हेलीकोप्टर का निगम";

(घ) "ग. जल भू-तल परिवहन विभाग" उप-शीर्ष के नीचे—

(i) प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) का प्रशासन और उस अधिनियम के अधीन महापत्तन के रूप में घोषित पत्तन

(ii) प्रविष्टि 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्

"1 मुख्य भूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच नौवहन सेवाओं का संगठन और अनुरक्षण।"

(iii) प्रविष्टि 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात —

19 केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जिनके अंतर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में सम्मिलित सारणी के भाग I और II में विनिर्दिष्ट, असम के जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कें और सड़क संकर्म नहीं है।"

(iv) प्रविष्टि 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

"28. राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान।

29 लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

30 भारतीय पोत परिवहन निगम।

31 मुख्य लाइन लिमिटेड।

32 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

33. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।

34 भारतीय जलमार्ग निगम।

35. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम।

36 भारतीय सड़क संनिर्माण निगम।

37. दिल्ली परिवहन निगम।"

(xx) "परमाणु ऊर्जा विभाग" शीर्ष के नीचे प्रविष्टि 11 में, "व्यष्टीय भौतिकी" शब्दों के पश्चात्, "और अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं' शब्द अंतःस्थापित किए जायेंगे।"

जैल सिंह,

राष्ट्रपति

[सं 74/2/1/85-मंत्रि०]

एल.आर.के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1985

S.O. 893(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-seventh Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) In the First Schedule,—

(i) for the heading "1.8 Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Karmik aur Prashikshan, Prashasanik. Sudhar aur Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—

"18. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmik, Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya).";

(ii) under the heading "24. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)", for the sub-heading "(1) Department of Railways (Rail Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"(i) Department of Railways (Rail Vibhag) Railway Board (Rail Board).";

(2) In the Second Schedule,—

(i) under the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Agriculture and Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag)",—in Part IV, in entry 44, the words "and Forestry Development" shall be omitted.

(b) under the sub-heading "B Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan Aur Shiksha Vibhag)",—

(i) in Part I— in entry 1, for the words 'Relations with foreign and international agricultural research", the words "International cooperation in the field of agricultural research and education including relations with foreign and international agricultural research" shall be substituted;

(ii) in entry 2, after the word 'higher education in agriculture", the words "including agro forestry" shall be inserted.

(c) under the sub-heading 'C. Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)", after entry 19, the following entry shall be inserted, namely :—

"19A. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.";

(ii) under the heading "Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya)", for the entries under the sub-heading "B. Department of Supply (Poorti Vibhag)", the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Purchase and/or inspection of stores for Central Government Ministries/Departments including their attached and subordinate offices and Union territories, other than the items of purchase and inspection of stores which are delegated to other authorities by general or special order.

2. Purchase and/or inspection of stores on behalf of those State Governments, public undertakings, autonomous bodies, quasi-public bodies, etc. who desire to avail of its services.

3. To arrange payment for supplies made against contracts placed by the Department (DGS&D) on behalf of the authorities referred to in 1 and 2 above.

4. To arrange clearance of stores imported against orders placed by the Department and also orders placed by the other Central Government Departments State Governments, autonomous bodies, etc. if called upon to do so. To arrange shipment of stores against contracts placed by the Department wherever necessary or where such work is entrusted to the Department by other authorities.

5. Disposal of surplus stores other than those for which powers have been delegated to various authorities by general or special order.

6. Testing and evaluation of materials, products, equipments and systems; research and development in testing technology and related areas; and calibration in the level of Echelon II and maintenance of test data, etc.

7 Cadre Management of Indian Supply Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said service.

8 Cadre Maagement of Indian Inspection Services and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said service.

9. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi

(b) Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.";

(iii) under the heading "Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Posts", in entry 3, for the words and brackets "Post Office Life Insurance Fund (Administration) and Broadcast Receiver Licences", the words and brackets "and Post Office Life Insurance Fund (Administration)" shall be substituted;

(b) under the sub-heading 'B. Department of Telecommunications', for entry 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"4. Indian Telephone Industries, Limited, Bangalore the Hindustan Teleprinters Limited Madras and the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi";

(iv) under the heading "Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Defence (Raksha Vibhag)", after entry 13, the following entries shall be inserted, namely :—

"14 Defence Accounts Department.

15 Administration of —

(i) the Pension Regulations for the Army, 1961 (Parts I and II)

(ii) the Pension Regulations for the Air Force, 1961 (Parts I and II).

(iii) the Navy (Pension) Regulations 1964; and

(iv) the Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards to the Armed Forces Personnel, 1982.

16. Purchase of food stuffs for military requirements and their disposal excluding those entrusted to Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food).

17. Coast Guard Organisation";

(b) under the sub-heading "Department of Defence Production and Supplies (Raksha Utpadan Aur Poorti Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1 Ordnance Factory Board and Ordnance Factories.";

(ii) for entries 5 and 6, the following entries shall be substituted, namely :—

"5 Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited.

6. Goa Shipyard Limited.

6A. Praga Tools Limited.

6B. Bharat Dynamics Limited.

6C. Mishra Dhatu Nigam Limited.

6D. Defence Inspection Organisation.

6E. Standardisation of defence equipment and stores.";

(iii) in entry 8, for "Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag)",

the following shall be substituted, namely :—

"Department of Space (Antariksh Vibhag)";

(iv) for entries 9 and 10, the following entries shall be substituted, namely :—

"9. Indigenisation development and production of items required for defence purposes.

10. Procurement exclusive to the defence services.";

(v) under the heading "Ministry of Energy (Oorja Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Power (Vidyut Vibhag)", for entries 10 and 11, the following entries shall be substituted, namely :—

"10. Bhakra Beas Management Board and Beas Construction Board (except matters relating to irrigation).

11. National Thermal Power Corporation Limited.

12. National Hydro-electric Power Corporation Limited.

13. Rural Electrification Corporation Limited.

14. North Eastern Electric Power Corporation Limited.

15. Central Power Research Institute.

16. Power Engineers Training Society.";

(vi) under the heading "Ministry of Environment and Forests (Paryavaran Tatha Van Mantralaya)", after entry 16, the following entry shall be inserted, namely :—

"17. Financial Assistance to Forestry Development Schemes.";

(vii) under the heading "Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya)",—

(a) in entry 5, for the words "Ceylon nationals", the words "Sri Lankan nationals" shall be substituted;

(b) in entry 11, the words "muleteers, porters" and the words "and vice versa" shall be omitted;

(c) in entry 19, for the words "and other International Conferences, the words "other International Organisations and Conferences" shall be substituted;

(d) in entry 25(a), for the words and figures "Port Haj Committee Act, 1932", the words, brackets and figures "Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959)" shall be substituted;

(e) for entries 27, 28 and 29, the following entry shall be substituted, namely :—

"27. Questions relating to minority communities in neighbouring countries.";

(viii) under the heading "Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)",—

(a) for the entries under the sub-heading "A. Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)", the following entries shall be substituted, namely :—

"I. Exchange Control

1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, 973 (46 of 1973) other than enforcement work mentioned under the Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).

2. Foreign Exchange Budgeting.

3. Policy relating to exchange rates of Rupee.

4. Control of the foreign exchange resources including scrutiny of proposals for imports from the foreign exchange point of view.

5. Foreign and Non-Resident Indian Investment.

6. Approvals for commercial borrowing abroad, including terms and conditions therefor.

7 Import and Export of gold and silver.

II. Foreign aid for Economic Development.

8 All matters relating to :—

(a) India Consortium.

(b) Loans, credits and economic assistance from foreign countries.

(c) Loans and credits from International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Asian Development Bank, European Economic Community and Export-Import Banks, etc.

(d) Ford Foundation and Rockfeller Foundation.

(e) International Development Research Centre of Canada (IDRC).

(f) Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC).

9. Technical and economic assistance received by India under :—

(a) the Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

(b) the United States Point Four Programme.

(c) the United Nations Technical Assistance Administration Programmes.

(d) ad-hoc offers of technical assistance from various foreign countries.

10. Technical assistance given by India to the member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan and technical assistance given by India to African countries under the Special Commonwealth African Assistance Plan programme.

11. All matters relating to the meetings of Colombo Plan Council and the Consultative Committee of the Plan.

12. All matters relating to credits extended by Government of India to other countries except Nepal, Bhutan and Bangladesh.

13. Technical assistance received by India or given to foreign governments, international institutions and organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.

14. All matters concerning United Nations Development Programme (UNDP) including Programmes or Projects funded out of UNDP Budget.

15. Policy issues, relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised agencies of the United Nations and other U. N. Bodies.

16. All matters relating to the Foreign Volunteers Programmes in India including the United Nations Volunteers (except outgoing volunteers under UNV).

III. Internal Finance

17. all matters relating to currency and coinage, including:

(a) The Security and Currency Printing Presses, the Security Paper Mills and the Mints including the Assay Department and Silver Refinery, Gold Refinery and Gold collection-cum-delivery centres.

(b) Production and supply of Currency Note Paper, Currency and Bank Notes and Coins, postal stationery, stamps and various security forms.

18. Functions of the Treasurer of Charitable Endowments for India.

19. Administration of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

20. Regulation and development of Stock Exchanges.

21. Control over the Issues of Capital by Joint Stock Companies.

22. New Investments and Securities for mobilising resources from the Capital Markets.

23. Investment policy including investment policy of Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and General Insurance Corporation of India.

24. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.

IV. Budget

25. Ways and Means.

26. Prepartion of Central Budget other than Railway Budget including supplementary/excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union territory, preparation of the Budget of such State or Union territory.

28. Market Borrowing Programme of Central and State Governments and Government Guaranteed Institutions.

28. Floatation of Market Loans by Central Government and issue and discharge of Treasurybills.

29. Administration of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944).

30. Fixation of interest rates for Central Government's borrowings and lending.

31. Accounting and audit procedures includings classification of transactions.

32. Financial matters relating to Partition, Federal Financial integration and Reorganisation of States.

33. Contingency Fund of India and Administration of the Contingency Fund of India Act, 1950 (49 of 1950).

34. Monitoring budgetary position of Central Government.

35. Sterling Pensions—Transfer of responsibility of U.K. Government and actual calculation of the liability involved.

36. Public Provident Fund Scheme.

37. Finance Commission.

38. Resources of Five Year and Annual Plans.

39. National Deposit Scheme, Special Deposit Schemes, Compulsory Deposit Scheme, other Deposit Schemes of Central Government.

40. Small Savings, including the administration of the National Savings Organisation.

41. Duties and powers of the Comptroller and Auditor General.

42. Laying of Audit Reports before the Parliament under article 151 of the Constitution.

43. Financial emergency.

V. Miscellaneous Acts

44. Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).

45. Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) dealing with investments.

46. Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).

47. Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890).

48. Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

49. Indian Securities Act, 1920 (10 of 1920).

50. Currency Ordinance 1940 (4 of 1940).

51. International Monetary Fund and Bank Act, 1945.

52. Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947).

53. Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).

54. Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).

55. Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).

56. Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

57. Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).

58. Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).

59. Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).

60. Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).

61. Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

62. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).

63. African Development Fund Act, 1982 (1 of 1982).

64. African Development Bank Act, 1983 (13 of 1983).

VI. Insurance Division

65. Policy relating to general insurance; administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); Subsidiaries of the General Insurance Corporation.

66. Policy relating to life insurance; nationalisation of the Life Insurance Business; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); Life Insurance Tribunal.

67. Controller of Insurance.

68. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 65 to 67 above.

VII. Management of the Indian Economic Service

69. Centralised aspects of managing the Indian Economic Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.

VIII. Economic Advice

70. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of economic management including prices.

71. Credit, fiscal and monetary policies.

IX. Banking

72. All Indian banks, whether nationalised or not.

73. All foreign banks so far as their operations in India are concerned.

74. All matters relating to the Reserve Bank of India.

75 All matters relating to Cooperative Banking.

76. All matters relating to National Bank for Agriculture and Rural Development and long term financial institution excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation General Insurance Corporation.

77. Chit Fund and other non-banking companies accepting deposits.

78. Other matters relating to Banking in India.

79. Administration of all statutes, regulation and other laws connected with entries from 72 to 78."

(b) under the sub-heading "B. Department of Expenditure (Vyaya Vibhag)", entry 6 shall be omitted.

(c) under the sub-heading "C. Department of Revenue (Rajaswa Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. All matters relating to—

(i) Central Board of Excise and Customs; and

(ii) Central Board of Direct Taxes."

(ii) in entry 4, for the word "stamps", the words "revenue stamps" shall be substituted.

(iii) for sub-entry (b) of entry 6, the following sub-entry shall be substituted, namely :—

"(b) Opium, Cannabis (Indian Hemp) and other Narcotic Drugs and Narcotics" ;

(iv) for entry 7, the following entry shall be substituted, namely :—

"7. Administration of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955)" ;

(v) for entries 9 and 10, the following entries shall be substituted, namely :—

"8A. Administration of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).

9. International Conventions/agreements relating to Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and their implementation.

10 All matters relating to Customs (Sea, Air and Land) including the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Tariff Valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports under the Customs Act; and interpretation of Customs Tariff.";

(vi) entry 13 shall be omitted.

(vii) for entry 15, the following entry shall be substituted, namely :—

"15. Preventive detention for the purposes of conservation or augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and matters connected therewith." ;

(viii) in entry 16, the words "the Directorate General of Revenue Intelligence-cum-Directorate of Enforcement" shall be omitted. ;

(ix) after entry 16, the following entries shall be inserted, namely :—

"17. All matters relating to Economic Intelligence Bureau.

18. All matters relating to the Customs Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal." ;

(ix) under the heading "Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya Aur Nagrik Poorti Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Food (Khadya Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Purchase of food stuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice, wheat and wheat production";

(ii) entry 7 shall be omitted.;

(iii) after entry 11, the following entry shall be inserted, namely :—

"11A. Matters relating to the following public sector organisations :—

(i) Food Corporation of India.

(ii) Central Warehousing Corporation.

(iii) Modern Food Industries (India) Limited.

(iv) North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited.",

(iv) after entry 15, the following entry shall be inserted, namely :—

"16(a) Development and popularisation of subsidiary and protective foods. ;

(b) Nutrition extension" ;

(b) under the sub-heading "B. Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag)", entry 15 shall be omitted. ;

(x) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A. Department of Internal Security (Antrik Suraksha Vibhag)",—

(i) after entry 3, the following entry shall be inserted, namely :—

"3A. Intelligence Bureau, Coordination Wing, Central Forensic Science Laboratory, New Delhi and Central Finger Print Bureau of the Central Bureau of Investigation." ;

(ii) after entry 6, the following entry shall be inserted, namely :—

"6A. Development of Fire Services." ;

(iii) after entry 10, the following entry shall be inserted, namely :—

"10A. National Security Guard.";

(iv) for entries 13 and 14, the following entry shall be substituted, namely :—

"13. For the Union Territory of Delhi; Public Order (but not including any naval, military or air force or any other armed force subject to the control of the Union or of any contingent or Unit thereof in aid of civil power)." ;

(v) after entry 19, the following entry shall be inserted, namely :—

"19A. Enforcement of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)";

(vi) for entry 20, the following entry shall be substituted, namely :—

"20. Enforcement of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923).";

(vii) for entry 22, the following entry shall be substituted, namely :—

"22. Prevention of bringing into India of undesirable literature under section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).";

(viii) after entry 25, the following entry shall be inserted, namely :—

"25A. Enforcement of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).";

(ix) entry 34 shall be omitted.;

(x) after entry 37, the following entry shall be inserted, namely —

"37A Relief facilities to refugees from Sri Lanka ',

(b) under the sub-heading "B Department of States (Rajya Vibhag) ',—

(i) for sub-entry (1) of entry 9, the following sub-entry shall be substituted, namely —

"(1) Public Order (but not including the use of naval, military or air force of the Union in aid of civil power) except Union Territory of Delhi ",

(ii) after entry 9 the following entry shall be inserted namely —

"9A Indian Frontier Administrative Service ",

(xi) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantra laya)",—

(a) under the sub-heading "A Department of education (Shiksha Vibhag) ', after entry 51, the following entry shall be inserted namely —

"52. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of modern Indian languages ",

(b) under the sub-heading 'D Department of Culture (Sanskrit Vibhag)",—

(i) in entry 1, after the words, "the Victoria Memorial" the words "the Asiatic Society Calcutta" shall be inserted,

(ii) after entry 1, the following entry shall be inserted, namely·—

"1A National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow ",

(iii) in entry 12 after the words 'National Gallery of Portraits," "the words "National School of Drama, New Delhi Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta and Allahabad Museum, Allahabad" shall be inserted

(iv) entry 20 shall be omitted ,

(xii) under the heading "Ministry of Industry (Udyog Mantralaya)",—

(a) under the sub-heading "A Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag)",—

(i) for entry 21, the following entry shall be substituted, amely :—

"21 National Council for Cement and Building Materials ";

(ii) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely ·—

"23 Technical Development, including Directorate General of Technical Development, Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organisation ";

(iii) after entry 29, the following entry shall be inserted, namely —

"29A. Trade and Merchandise Marks Act 1958 (43 of 1958) ";

(b) under the sub-heading "B. Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag)", after entry 8, the following entry shall be inserted, namely —

"9. Legislation in relation to societies' registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas ";

(c) under the sub-heading "D Department of Public Enterprises (Sarkari Udyam Vibhag) ', entry 48 shall be omitted ,

(xiii) under the heading 'Ministry of Labour (Sharam Mantralaya)", under Part V for entry 25 the following entry shall be substituted, namely —

'25 All emigration under the Emigration Act 1983 (31 of 1983) from India to overseas countries and the return of emigrants ',

(xiv) under the heading "Ministry of Law and Justice (Vidhi Aur Nyaya Mantralaya)" under the sub-heading "A Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag)",—

(i) for entry 1, the following entry shall be substituted namely —

"1 Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party ',

(ii) in entry 3, after the words "Supreme Court" the words 'and the High Courts' shall be inserted ,

(iii) for entry 9, the following shall be substitued, namely·—

"9 Legal Profession including the Advocates Act 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts ",

(iv) in entry 10 for the word "supplemental", the word "further" shall be substituted ,

(v) entries 11 and 13 shall be omitted ,

(xv) Under the heading "Ministry of Parliamentary Affairs and tourism (Sansadiya Karya Aur Paryatan Mantralaya)" under the sub-heading "A Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag)", after entry 16, the following entries shall be inserted, namely —

"17. The Salary and Allowance of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977)

18 Parliamentary Secretaries—functions ",

(xvi) (a) for the existing heading 'Ministry of Personnel and Training Administrative Reforms and Public Grievances and Pension, (Karmik Shikayat aur Prashikshan Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Tatha Pension Mantralaya)" the following heading shall be substituted namely ·—

'Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions (Karmik, Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya) ";

(b) under the sub-heading "C Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely —

"1 Formulation of policy and co-ordination of matters relating to retirement benefits to Central Government employees (Civil, Defence and Railway Pensioners).

2. Administration of—

(i) Central Civil Services (Pension) Rules, 1972; Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939, All India Services (Death-Cum-retirement benefits) Rules, 1958, and

(ii) any other scheme relating to Central Government pensioners, entrusted to the Department.

3. Pension structure and relief to pensioners.

4. New facilities or fringe benefits to the Central Government pensioners.

5. Matters relating to amendment to, or relaxation of Pension Rules or any other rule concerning retirement benefits.

6. Policy and co-ordination relating to welfare of Central Government pensioners.

NOTE . —The action in respect of 3 above shall be subject to the concurrence of Ministry of Finance. Action in respect of other matters involving recurring financial implications by way of relaxation or liberalisation of any rule shall be subject to guidelines, as agreed to between the Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag) and the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya), Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).";

(xvii) under the heading "Ministry of Planning (Yojana Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag)", for entry 3, the following entry shall be substituted, namely:—

"3. National Sample Survey Organisation.";

(xviii) under the heading "Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Steel (Ispat Vibhag)" for sub-entry (1) of entry 8, the following sub-entry shall be substituted, namely :—

"(1) Visvesvaraya Iron and Steel Limited.";

(xix) under the heading "Ministry of Transport (Parivahan Mantralaya)",—

(a) for the sub-heading "A. Department of Railways (Rail Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"A. Department of Railways (Rail Vibhag), Railway Board (Rail Board).";

(b) under the sub-heading "A. Department of Railways (Rail Vibhag), Railway Board (Rail Board) after entry 3, the following entry shall be inserted namely :—

"4. Administration of pension rules applicable to railway employees.";

(c) under the sub-heading "B. Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag)", after entry 15, the following entry shall be inserted, namely :—

"16. Helicopter Corporation of India.";

(d) under the sub-heading "C. Department of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Vibhag)",

(i) for entry 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"3. Administration of Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and ports declared as major ports under that Act.";

(ii) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely :—

"16. Organisation and maintenance of mainland-islands and inter-island shipping services.";

(iii) for entry 19, the following entry shall be substituted, namely :—

"19. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas of Assam specified in Parts I and II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.";

(iv) after entry 27, the following entries shall be inserted, namely :—

"28. National Institute of Port Management.

29. Minor Ports Survey Organisation.

30. Shipping Corporation of India.

31. Mogul Line Limited.

32. Cochin Shipyard Limited.

33. Hindustan Shipyard Limited.

34. Dredging Corporation of India.

35. Central Inland Water Transport Corporation.

36. Indian Roads Construction Corporation.

37. Delhi Transport Corporation.";

(xx) under the heading "Department of Atomic Energy (Parmanu Orja Vibhag)", in entry 11, after the words "Nuclear Physics", the words "and other aided institutions" shall be inserted.".

ZAIL SINGH, President

[No. 74|2|1|85-Cab]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

1239 GI/85—3

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986